☎ कार्यालय/फैक्सः 0135–2759799
ई–मेलः missionhortiuk@gmail.com

कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक 1975/टूल्स/मशीन पंजीकरण/2024–25 दिनांकःदेहरादूनः 12 दिसम्बर, 2024

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्यानिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को दिनांक 31.03.2027 तक सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) दिनांक 28.12.2024 की अपरान्ह् 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आमन्त्रित की जाती है।

आवेदनकर्ताओं को दिनांक 23.12.2024 को अपने–अपने औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का प्रदर्शन विभागीय गठित समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में करना होगा। EoI के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को विभागीय गठित समिति द्वारा दिनांक 30.12.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे खोला जायेगा। EoI हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तों का विवरण विभागीय वेबसाइट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निदेशक,
बागवानी मिशन

☎ कार्यालय/फैक्सः 0135–2759799
ई–मेलः missionhortiuk@gmail.com

कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

Tools, Implements and Machines हेतु फर्मों के रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) की निर्धारित शर्तें

1. पंजीकरण हेतु सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर देनी होगीं। पंजीकरण प्रारूप के साथ प्रक्रिया शुल्क रु0 2360.00 (जी0एस0टी0 सहित) जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो संलग्न करना होगा।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को विभागीय बेबसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र मूल विनिर्माता फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं से ही स्वीकार किये जायेगें।
4. मूल उत्पादक फर्म/कम्पनियॉ अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से भी पंजीकरण में प्रतिभाग कर सकती हैं, ऐसी स्थिति में मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी का टर्न ओवर मान्य होगा।
5. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का 03 वित्तीय वर्ष (वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24) का औसत टर्न ओवर न्यूनतम रु0 5.00 करोड़ होने का सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र (UDIN अवश्य अंकित हो) संलग्न करना होगा।
6. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता की Net Worth सकारात्मक (Positive) होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टेड एकाउन्टैन्ट निर्गत प्रमाण पत्र (UDIN अवश्य अंकित हो) संलग्न किया जाय।
7. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर **"औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन"** अंकित हो, दिनांक 28.12.2024 को अपरान्ह् 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा करना होगा।
8. पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफे को विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 30.12.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा।
9. दिनांक 23.12.2024 को अपने–अपने Tools, Implements and Machines का गठित समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में प्रदर्शन करना होगा।
10. शासनादेश–223817/204/08(200)/XXVII(8)/2023/दिनांक 10.07.2024 के बिन्दु सं0–4 में शर्त के अनुरूप जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण–पत्र (No Due Certificate) तथा समस्त देय विवरण (Statement) एवं विवरण (Return) जमा होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र देना होगा तथा सम्बन्धित शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में आवेदनकर्ता को प्रतिभाग किये जाने हेतु अनर्ह (ineligible) घोषित किया जायेगा।
11. पंजीकरण 03 वित्तीय वर्षो (वर्ष 2024–25, 2025–26 व 2026–27) के लिए किया जा रहा है, परन्तु फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बंधित नवीनीकृत अभिलेख ससमय विभाग को प्रस्तुत किए जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की दशा में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
12. पंजीकरण हेतु वर्तमान में दी गई औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों के भविष्य में संशोधन की स्थिति में अविलम्ब विभाग को सूचित करना होगा।

13. पंजीकृत किये जाने वाले औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0 / बी0आई0एस0 मार्क के हों तथा Farm Machinery Training and Testing Institute (FMTTI) या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने चाहिए, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट पंजीकरण के आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

14. वर्तमान में HMNEH योजना की मार्ग निर्देशिका–2014 के अनुसार औद्यानिक यन्त्रीकरण घटक के अन्तर्गत अनुमन्य लागत एवं राज सहायता की धनराशि के प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए कास्तकारों को लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संशोधित मार्ग निर्देशिका जारी होती है तो संशोधित मार्ग निर्देशिका में अनुमन्य लागत, राज सहायता के प्रतिशत व अन्य शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए कास्तकारों को नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।

15. फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारन्टी / वारन्टी भी देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में रू0 100.00 को नोटेराईज्ड़ शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

16. फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता को औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को चलाने और उसके रख–रखाव की तकनीकी जानकारी से विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों / कृषकों को सन्तुष्ट करना होगा।

17. फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दर किसी अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होने व पंजीकरण में दी गई दर से कम दर पर बिक्री नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र रू0 100/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर (नोटराईज्ड) पर संलग्न करना होगा। फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दर अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से अधिक पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता को ब्लैक लिस्ट करते हुए बैंक गारन्टी जब्त कर ली जायेगी।

18. फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद / विधिक कार्यवाही / अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, से अवगत कराते हुए शपथ पत्र रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (नोटराईज्ड) पर मूल रूप में जमा करना होगा।

19. पंजीकरण हेतु फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता को समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिए शपथ पत्र रू0 100/– के नोटराईज्ड स्टॅाम्प पेपर पर मूल रूप में संलग्न करना होगा।

20. औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों की दरें Annuxure-1 व Annuxure-2 (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी।

21. Annuxure-3 तकनीकी बिड के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है।

22. पंजीकरण की वैधता वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 व 2026–27 (31 मार्च, 2027) तक होगी।

23. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी पंजीकृत फर्म / कम्पनी / अधिकृत विक्रेता से औद्यानिक मशीनों / यन्त्रों का क्रय कर सकते है। क्रय उपरान्त मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने व भौतिक सत्यापन हेतु अपनी आख्या सन्तोषजनक दिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को DBT के माध्यम से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः– .....3.....

24. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2026 तक वैद्य हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगीः–

    i. Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 8.65 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।

    ii. Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 11.25 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।

    iii. Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) दोनों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 19.90 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जमा करनी होगी।

25. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा औद्यानिक स्वचालित मशीनों पर पेन्ट से उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड, वर्ष ...., योजना का नाम .... एवं देय राज सहायता की धनराशि रू0 .... अंकित की जायेगी तथा आपूर्ति के समय कृषक का यन्त्र के साथ फोटो लेना आवश्यक होगा।

26. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण की प्रक्रिया व पंजीकरण की व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकृत अथवा समाप्त कर सकता है।

27. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए गए औजार/मशीनों की गुणवत्ता एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

28. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के मानक इत्यादि सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2027 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म/कम्पनी को नवीनीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

29. यदि यन्त्रों के मूल विनिर्माता देश से बाहर के है तथा उनके द्वारा देश में फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को Authorized Dealership दी गई है, जिससे उक्त फर्म यन्त्रों/मशीनों को देश में विक्रय कर सकती है। इस आशय का प्रमाण–पत्र, जो कि मूल विनिर्माता के द्वारा दिया गया हो, सम्बन्धित फर्म को पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

30. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यन्त्र उपलब्ध कराने होगें। इस हेतु फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास GSTIN NUMBER पंजीकरण तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। फर्म/कम्पनी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गई सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्जे तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध कराई जायेगी। लाभार्थियों द्वारा इसके लिये अनुरोध किये जाने के 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विनिर्माता फर्म/कम्पनी को अपने प्रस्ताव के साथ वर्तमान में जनपदवार उपलब्ध/नियुक्त अधिकृत विक्रेताओं/डीलरों की सूची, विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक वर्कशॉप आदि के विवरण सहित जो कि फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो, को संलग्न करना होगा।

31. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा औद्यानिक मशीनों/यन्त्रों/उपकरणों पर लेबलिगं प्लेट को Riveted किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्माता का नाम एवं पता मेक/मॉडल, सीरियल नम्बर, निर्माण का माह एवं वर्ष, टाईप, साईज, किस देश में निर्मित किया गया है, लिखा होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराये जा रहे स्पेसिफिकेशन में मार्किंग/लेबलिगं हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाय।

32. फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के द्वारा दी गई कोई भी जानकारी कभी भी असत्य पाई जाने की दशा में उस फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

क्रमशः– .....4......

33. मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की परफॉर्मेन्स/आचरण पर निगरानी रखी जायेगी। विपरित सूचना मिलने पर सूचीबद्ध/ पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता समयान्तर्गत आपूर्ति नहीं करती है, निम्नगुणवत्ता की आपूर्ति करती है, गलत घोषणा तथा तथ्य प्रस्तुत करती है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार जो जनहित में न हो के सम्बन्ध में मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विषेशज्ञ, कोटद्वार की शिकायत के आधार पर पंजीकृत सूची से नियमानुसार हटा दिया जायेगा।

34. आवेदन के साथ संलग्न सभी आवश्यक अभिलेखों की चैक लिस्ट अवश्य संलग्न की जाये, जिसमें पृष्ठ संख्या अवश्य अंकित की जाये, ताकि प्रस्ताव का परीक्षण आसानी से किया जा सके साथ ही सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने भी अनिवार्य है।

35. तकनीकी बिड के अनुसार आवश्यक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है।

36. अपने Tools, Implements and Machines का साहित्य, मशीनों एवं फोटोग्राफ की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी (पैन ड्राईव) में उपलब्ध करानी होगी।

37. वर्गवार सूची निम्न प्रकार है:–

1. Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स)			
1	Tractor (up to 20 PTO HP)	5.	Plant Protection equipments
2	Power Tiller	i.	Manual sprayer - Knapsack / foot operated sprayer
i.	Below 8 BHP	ii.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated sprayer (capacity 8-12 lts)
ii.	8 BHP & above	iii.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated sprayer (capacity 12-16 lts)
3	Tractor / Power tiller (below 20 BHP) driven equipments	iv.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated sprayer (capacity above 16/lts)
i.	Land Development, tillage and seed bed preparation equipments	v.	Tractor mounted / Operated Sprayer (below 20 BHP)
ii.	Sowing, planting reaping and digging equipments	vi.	Tractor mounted / Operated Sprayer (above 35 BHP) / Electrostatic Sprayer
iii.	Plastic mulch laying machine		
4	Self propelled Horticulture Machinery (Fruit plucker, Tree pruners, Fruit Harvesters, Fruit Graders, Nursery Media filing machine, multipurpose hydraulic system, power operated horticulture tools for spraying, pruning, budding, grafting, shearing, water lifting pump etc.)		
2. Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स)			
1	Secateurs	8	Patching knife
2	Grafting knife	9	Automatic grafting machine
3	Budding and Grafting knife	10	Edging knife
4	Pruning knife	11	Thinning scissors
5	Hedge seissors	12	Folding saw
6	Pruning saw	13	Fruit plucker
7	Branch pruner	14	Other Hand Tools

निदेशक,
बागवानी मिशन

Annuxure-1

Format for Registration of Firms/Companies

Mission Director, Horticulture, Govt. Garden, Circuit House, Dehradun

Cash Receipt / Draft No. Date: Amount Rs. 2360.00 (including GST)

1. Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन / टूल्स)

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of machine / tool and Make /Model	Specifications	Power (HP & KW)	Tested by FMTTI / University / BIS (Attached Document Page No.)	Rate per Unit (including GST & F.O.R.) (in Rs.)	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. (Attached Document Page No.)
01	02	03	04	05	06	07	08

Sign. of authorized signatory of firm

Annuxure-2

Format for Registration of Firms/Companies

Mission Director, Horticulture, Govt. Garden, Circuit House, Dehradun

Cash Receipt / Draft No. Date: Amount Rs. 2360.00 (including GST)

2. Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स आदि)

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of tool and Make /Model	Specifications	Tested by FMTTI / University / BIS (Attached Document Page No.)	Rate per Unit (including GST & F.O.R.) (in Rs.)	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. (Attached Document Page No.)
01	02	03	04	05	06	07

Sign. of authorized signatory of firm

Annuxure-3

☎ कार्यालय/फैक्स:0135–2759799
ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून
पंजीकरण (Empanelment) हेतु तकनीकी बिड

क्र. सं.	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
1	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के निदेशक, फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के साझेदारों का नाम/फैक्ट्री का पता अंकित हो।		
2	प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरणः– ड्राफ्ट संख्या....................तिथि................... धनराशि रू0 2360.00 .... बैंक ड्राफ्ट रानीखेत अल्मोड़ा में देय हो		
3	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो– I)- बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की संख्या ....जारी करने की तिथि.... ....वैधता तिथि.................धनराशि रू0............, जारीकर्ता बैंक का पूर्ण पता.....		
4	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का पैन नम्बर....................... की छायाप्रति।		
5	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का जी.एस.टी संख्या .... की छायाप्रति।		
6	शासनादेश–223817/204/08(200)/XXVII(8)/2023/दिनांक 10.07.2024 के बिन्दु सं0–4– में शर्त के रूप में जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण–पत्र (No Due Certificate) तथा समस्त देय विवरण (Statement) एवं विवरण (Return) जमा होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।		
7	फर्म का वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24 का औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5.00 करोड़ होने का सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र (UDIN अवश्य अंकित हो)।		
8	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता की Net Worth सकारात्मक (Positive) होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टेड एकाउन्टैन्ट निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय। (UDIN अवश्य अंकित हो)।		
9	दरों एवं विशिष्टियों हेतु निर्धारित Annexure-1		
10	दरों एवं विशिष्टियों हेतु निर्धारित Annexure-2		
11	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दर किसी अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होने व पंजीकरण की अवधि में दी गई दर से कम दर पर बिक्री नहीं किये जाने सम्बन्ध शपथ पत्र रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (नोटराईज्ड) पर संलग्न करना होगा।		

क्र. सं.	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
12	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, से अवगत कराते हुए शपथ पत्र रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (नोटराईज्ड) पर मूल रूप में जमा करना होगा।		
13	औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने के सम्बन्ध में रू0 100.00 नोटेराईज्ड शपथ पत्र।		
14	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होने का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी .... एवं पैन नम्बर .... सहित।		
15	बिक्री उपरान्त सेवा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड़ में फर्म/कम्पनी या उसके अधीकृत विक्रेता के वर्कशॉप का विस्तृत विवरण।		
16	देश से बाहर की फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण।		
17	औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों अथवा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त व्यवसायिक टेस्ट रिपोर्ट के विवरण का प्रारूप।		
18	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता के Factory का विस्तृत विवरण जहॉ पर औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का निर्माण किया जाता है।		
19	अपने Tools, Implements and Machines का साहित्य एवं फोटोग्राफ की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी (पैन ड्राईव) में उपलब्ध करानी होगी।		
20	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता द्वारा औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
21	फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
22	पंजीकरण हेतु फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता को समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिए शपथ पत्र रू0 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर मूल रूप में संलग्न करना होगा।		

नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। आवेदन के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण (Empanelment) की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर–

आवेदक/प्राधिकर्ता निविदादाता का नाम–

फर्म/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता का नाम/पता/सील

फोन नम्बर